बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-- पि०व०/02/ब0 एवं आ0--17--06/2022-- 79

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
जहानाबाद।

पटना, दिनांक-- 20/7/2026

विषय:-- वित्तीय वर्ष 2026--27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, जहानाबाद के संधारणार्थ संविदा सेवा मद में कुल राशि रू० 10.00 लाख (रू० दस लाख) मात्र का आवंटन।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक--381, दिनांक-- 01.07.2026 द्वारा विभाग अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, जहानाबाद के संधारणार्थ वित्तीय वर्ष 2025--26 के संविदा मद (28--02) में बकाया भुगतान हेतु राशि रू० 10.00 लाख मात्र की अधियाचना की गई है।

2--उक्त के आलोक में निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026--27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, जहानाबाद के संधारणार्थ संविदा सेवा (28--02) मद में कुल राशि रू० 10.00 लाख (रू० दस लाख) मात्र आवंटित की जाती है।

3--कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026--27 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03-- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277--शिक्षा, उप शीर्ष 0002--छात्रावासों का संधारण, विषय शीर्ष, 28.02--संविदा सेवाएं, विपत्र कोड सं०--11--2225--03--277--0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4--उप विकास आयुक्त, जहानाबाद इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद होंगे। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण--पत्र राशि व्यय होने के पश्चात् विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

5--राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक--2561, दिनांक--17.04.1998 तथा समय--समय पर वित विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों/पत्रो के अनुरूप किया जायेगा। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक व्यय दिनांक--31.03.2027 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं रहने पर शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के 20 दिन पुर्व विभाग को कारण सहित प्रत्यर्पित कर दिया जाय। साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु जिस कार्य हेतु राशि आवंटित की जा रही है, उसी कार्य हेतु राशि का व्यय किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं बैंक में संचित नही किया जायेगा।

6--प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7--प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8--इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O.

D/Kundan-2 Budget Section/allotment excel and budget fort /Sanction & Allotment

ज्ञापांक— पि०व०/02/ब० एवं आ०—17—06/2022— 79 पटना, दिनांक— 20/7/2026

प्रतिलिपि—(1) महालेखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/प्रमण्डलीय उप निदेशक, मगध प्रमण्डल, गया, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट प्रशाखा)/आई0टी0मैनेजर, (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/7/26

सरकार के अपर सचिव।